न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 111/2021

1. मघाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. गणेशाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. संतु पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. कमला पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1. किशनाराम पुत्र श्यामाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. शेरसिंह पुत्र श्यामाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. मोहनराम पुत्र श्यामाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. रेवन्तराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
5. रूपाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
6. भागीरथराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
7. बजरंगलाल पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
8. भंवरी पुत्री मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
9. नारायणी पुत्री मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
10. किस्तुरी पुत्री मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
11. माली पुत्री मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
12. पुनम पुत्री मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
13. सीता पुत्री मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
14. राधा पुत्री मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
15. गीता पुत्री मूलाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
16. मंजु पत्नि रेवन्तराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
17. सन्तोष पत्नि भागीरथराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
18. गोमती पत्नि बजरंगलाल जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
19. छोटुदेवी पत्नि गणेशाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
20. शाखा प्रबंधक बीआरकेजीबी शाखा सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू
21. शाखा प्रबधंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुजानगढ जिला चूरू
22. श्रीमान उप पंजियक अधिकारी बीदासर जिला चूरू
23. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

24. भंवरलाल पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
25. रावताराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू
26. मैना पुत्री किशनाराम जाति जाट निवासी सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत।

उपस्थित :–

1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. श्री दिनदयाल प्रजापत एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 व गौण प्रतिवादी संख्या 24
3. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.11.2022

वादपत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्यामाराम पुत्र हणुताराम जाति जाट निवासी ग्राम सारंगसर के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा संख्या 267 दौ सौ सडसठ तादादी 10.6862 दस पोइन्ट छः आठ छः दौ हेक्टेयर, खसरा संख्या 321 तीन सौ ईक्कीस तादादी 9.9148 नौ पोइन्ट नौ एक चार आठ हेक्टेयर, खसरा संख्या 439 चार सौ उनचालीस तादादी 45.9318 पेंतालीस पोइन्ट नौ तीन एक आठ हेक्टेयर वाके रोही ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू में मिसल बंदोबस्त सम्वत 2028 से 2047 में खातेदारी के दर्ज स्थित है। जिसे आगे वादगत भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त भूमि वादीगण के दादा श्यामाराम के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में थी। वादीगण के दादा श्यामाराम का स्वर्गवास कई वर्षों पूर्व हो चुका है। वादीगण के दादा श्यामाराम के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि में 1/8 एक बट्टा आठ हिस्सा भूमि वादीगण के पिता किशनाराम के नाम दर्ज हुई। वादगत भूमि पहले वादीगण के दादा श्यामाराम के खातेदारी की होने से वादीगण की पुस्तेनी भूमि है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पुस्तेनी भूमि में पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री का जन्म से हित नियत हो जाता है। इस कारण वादीगण के दादा श्यामाराम से जो संपति प्रतिवादी संख्या 1 एक किशनाराम को विरास्त में मिली है उसमें वादीगण व गौण प्रतिवादी का समान हित नियत हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 एक किशनाराम के कुल आठ वारिस वादीगण व गौण प्रतिवादीगण है। इस प्रकार श्यामाराम की जो संपति प्रतिवादी संख्या 1 एक किशनाराम को विरास्त से खातेदारी में प्राप्त हुई है उसमें प्रतिवादी संख्या 1 एक किशनाराम का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी मघाराम का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी गणेशाराम का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी जगदीश का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी संतु का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी कमला का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, गौण प्रतिवादी भंवरलाल का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, गौण प्रतिवादी रावताराम का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, गौण प्रतिवादी मैना का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा नियत है। वादगत भूमि में प्रतिवादी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

एक किशनाराम 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी मघाराम 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी गणेशाराम 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी जगदीश 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी संतु 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी कमला 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, गौण प्रतिवादी भंवरलाल 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, गौण प्रतिवादी रावताराम 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, गौण प्रतिवादी मैना 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा की खातेदार कृषक है जो खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी है। वादगत भूमि पर उपरोक्त हिस्सा अनुसार ही वादीगण, गौण प्रतिवादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग है। वादगत भूमि वादीगण, गौण प्रतिवादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत है। वादगत भूमि वादीगण एंव गौण प्रतिवादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक की पैत्रिक व कोपार्सनरी सम्पति है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री के जन्म से ही दादा की सम्पति में हिस्सा कायम हो जाता है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 एक के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग की वादगत भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एक किशनाराम का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी मघाराम का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी गणेशाराम का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी जगदीश का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी संतु का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, वादी कमला का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, गौण प्रतिवादी भंवरलाल का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, गौण प्रतिवादी रावताराम का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा, गौण प्रतिवादी मैना का 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा नियत है। वादीगण, गौण प्रतिवादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक वादगत भूमि में अपनी अपनी हिस्सा भूमि को काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 एक झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है ओर आये दिन वादीगण से झगडा करता रहता है। कई बार प्रतिवादी संख्या 1 एक को गांव के मौजिज व्यक्तियों ने समझाया। लेकिन फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 एक वादीगण से आये दिन झगडा करता रहता है। इस कारण वादीगण ने अपनी हिस्सा भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन प्रतिवादी संख्या 1 एक से किया तो प्रतिवादी संख्या 1 एक ने वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज करवाने से मना कर दिया। प्रतिवादी संख्या 1 एक वादीगण व गौण प्रतिवादी को खातेदारी भूमि से वंचित करना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 01 एक अपनी खातेदारी भूमि को विक्रय, हस्तातंरण, रहन, बैय, बक्सीश, दान पत्र के जरीये खुर्द बुर्द करने पर लगा हुआ है। इसलिए वादीगण के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपने हिस्सा भूमि की घोशणा करवाये। इसलिए घोशित किया जावे कि वादगत भूमि वादीगण एंव गौण प्रतिवादी की पैत्रिक कोपार्सनरी सम्पति की है जिसमें वादीगण एंव गौण प्रतिवादी एंव प्रतिवादी संख्या 01 एक प्रत्येक 1/72 एक बट्टा बहतर हिस्सा के खातेदार कृशक है। इसलिए वादीगण वादगत भूमि में खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
बैराठ

Scanned by CamScanner

अधिकारों की घोशणा करवाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन करवाने के कानूनी अधिकारी है। क्योंकि वादगत भूमि वादीगण एंव गौण प्रतिवादी के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति के है। प्रतिवादी संख्या 01 एक वादीगण एंव गौण प्रतिवादी को उनकी हिस्सा भूमि से वंचित करने के लिए वादगत भूमि को विक्रय करके विक्रय पत्र निष्पादन कराने की चेष्टा में है। प्रतिवादी संख्या 01 एक ने वादगत भूमि को विक्रय करने की बात पक्की कर ली है तथा प्रतिवादी संख्या 01 एक ने विक्रय की साई भी प्राप्त कर ली है। प्रतिवादी संख्या 01 वादगत भूमि को विक्रय करके विक्रय पत्र निष्पादन कर पंजीकृत कराने में सफल हो गया तो वादीगण को अपने हिस्सा की भूमि से वंचित होना पडेगा जिससे वादीगण को अपूर्तीय क्षति होगी। प्रतिवादी संख्या 01 एक वादीगण की हिस्सा भूमि को काश्त करने नहीं दे रहा है। बलपूर्वक मुकाबला करने में वादीगण सामर्थवान नहीं है इसलिए वादीगण के अधिकारों की रक्षा के लिए वादीगण के पक्ष में चिर निशेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है। वादीगण एंव गौण प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 01 एक से उनके हिस्से की भूमि उनके नाम कराने के लिए विक्रय पत्र निश्पादित कर पंजीकृत कराने के लिए एंव वादीगण के हिस्सा की भूमि के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधायें उत्पन्न न करने के लिए दिनांक 5.4.2021 को निवेदन किया लेकिन वोह मानने से साफ इनकार हो गया। प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को ऐलानियां धमकियां दे रहा है कि उन्होनें वादगत भूमि को विक्रय करने की बात पक्की कर ली है व साई भी प्राप्त कर ली है। अब वोह शीघ्र ही केता के पक्ष में विक्रय पत्र का निश्पादन करवाकर ही रहेगा। विक्रय पत्र निश्पादन न होने की सुरत में वादगत भूमि को बक्सीश वसीयत दानपत्र करके ही रहेगा। यही दावे का कारण है। वादीगण को वादाधार वादगत खेत वादीगण के दादा के खातेदारी के होने से प्राप्त है। राजस्थान सरकार वाद मे आवश्यक पक्षकार है इसलिए कानुनी आपतियों का मध्य नजर रखते हुए उसे दावा में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। घोशणात्मक वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने से पूर्व धारा 80(2) सी.पी.सी. का 2 दौ माह की अवधि का कानुनी नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है एंव राज्य सरकार को दौ माह को नोटिस दिया गया तो समय लगेगा तब तक प्रतिवादी संख्या 1 एक अपने गलत उदेश्य में सफल हो जायेगा तो वादीगण के वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए वादीगण द्वारा दावा पेश करने के लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी. के तहत न्यायालय से छुट की अनुमति लेकर यह दावा पेश किया जा रहा है। वादीगण के साथ गौण प्रतिवादी का हित समान रूप से नियत है। गौण प्रतिवादी वर्तमान में गांव से बहार होने के कारण उन्हें वाद में वादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित नहीं किया जा सका ओर कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए उन्हे वाद में गौण प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

किया गया है। खातेदार मुलाराम पुत्र श्यामाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसों को वाद में पक्षकार बना दिया गया है। वादगत भूमि में वर्तमान में वादीगण का नाम खातेदारी में अंकित नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 एक के मन में बेईमानी आ गई है। प्रतिवादी संख्या 1 एक वादगत भूमि को विक्रय हस्तान्तरण रहन आदि कर देगा तो वादीगण के अधिकारों के विपरित असर पडेगा। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 एक का मुकाबला करने में असमर्थ है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 एक को न्यायालय से जरीये चिर निशैधाज्ञा की डिक्री से वर्जित करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि वोह वादीगण के संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित कोपार्सनरी सम्पति की भूमि को जब तक राजस्व रेकार्ड में संशोधन नहीं हो जाता तब तक वादगत भूमि के किसी भी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें। इस दौशपूर्ण कृत्य से यदि प्रतिवादी संख्या 1 एक को नहीं रोका गया तो वादीगण को अपूर्तीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी सुरत में पूर्ण नहीं हो पायेगी। प्रतिवादी संख्या 1 एक को वर्जित किया जावे की वोह वादीगण के कब्जे काश्त एंव हिस्सा की भूमि को काश्त करने से न रोके व ओर न ही उसको जबरन हिस्से पांति की भूमि से बेदखल करें ओर ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे वादीगण के वैध अधिकारों के विपरित प्रभाव पडता है। दावा घोशणात्मक एंव राजस्व रेकार्ड, संशोधन चिर निशेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ती का है वादगत खेत रोही ग्राम सारंगसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादीगण निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भीतर प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ता 19 व गौण प्रतिवादी संख्या 24 द्वारा इकबाल जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 20 ता 22 व गौण प्रतिवादी संख्या 25 ता 26 बावजुद तामिल अनुपस्थित। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 3, 20 ता 22 व गौण प्रतिवादी संख्या 25 ता 26 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पेरोकार राज की तरफ से दावा में राजहित नहीं होना अंकित किया है। दावा में किसी प्रतिवादी की ओर से कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण ने वाद के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2073–2076, मिसल बंदोबस्त सम्वत 2028 से 2047 पेश की है जिससे साबित होता है कि वादगत भूमि पुस्तेनी है।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने भी अपनी बहस में दावा को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील वादीगण की बहस व दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होता है कि वादगत

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

भूमि वादीगण की पुस्तैनी भूमि है। ओर पुस्तेनी भूमि में वादीगण का हित नियत है। किसी भी पक्षकार द्धारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। प्रकरण हाजा में वादीगण की ओर से वादगत भूमि उनके संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सनरी सम्पति होना तथा वादगत भूमि वादीगण के दादा के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की होना जाहिर किया है। वादीगण द्धारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी भली भांति जाहिर होता है कि वादगत भूमि वादीगण एवं गौण प्रतिवादी की पुस्तेनी भूमि है जो पहले वादीगण के दादा श्यामाराम पुत्र हणुताराम के खातेदारी अधिकार की थी। श्यामाराम के स्वर्गवास के बाद वादगत भूमि वादीगण के पिता किशनाराम के संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई। वादगत भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादी के दादा श्यामाराम की होने से वादगत भूमि में वादीगण व गौण प्रतिवादी प्रत्येक का 1/72 हिस्सा बनता है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री योग्य होने से स्वीकार कर इस प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम सारंगसर के खसरा संख्या 267, 321, 439 तादादी क्रमशः 10.6862, 9.9148, 45.9318 हेक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 66.5328 हेक्टेयर भूमि में वादीगण व गौण प्रतिवादीगण प्रत्येक को 1/72 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर खातेदार किशनाराम पुत्र श्यामाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट निवासी सारंगसर के स्थान पर किशनाराम पुत्र श्यामाराम जाति जाट निवासी सारंगसर, मघाराम, गणेशाराम, जगदीश, भंवरलाल, रावताराम, संतु, मैना, कमला पिता किशनाराम जाति जाट निवासीगण सारंगसर ब.हि.ब. खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् स्वंय वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner